INDORE SAHKARI DUGDH SANGH.MYDT
INDORE (M.P)

E-TENDER
FOR

Transportation of S.M.P.

INDORE SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT
INDORE (M.P.)

<u>निविदा प्रपत्र</u>

<u>निविदा कार्य :–</u> श्री वारणा सहकारी दूध उत्पादक प्रक्रिया संघ लिमि. तात्या साहेब कोरेनगर, पोस्ट वारणा नगर जिला कोल्हापुर (महाराष्ट्र) से इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मांगलिया जिला इन्दौर तक 500 में.टन दुग्ध चुर्ण परिवहन हेतु ई– निविदा।

ई–निविदा क्रय की अतिंम तारीख	:	17/04/17 दोपहर 2.00 बजे तक
ई–निविदा जमा करने की अतिंम तारीख एवं समय	:	17/04/17 समय 2.30 बजे तक
ई–निविदा खोले जाने की तारीख एवं समय	:	17/04/17 समय 3.30 बजे
ई–निविदा खोले जाने का स्थान	:	इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या., मागंलिया, इन्दौर
पत्राचार हेतु पता	:	मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर दुग्ध संघ सहकारी मर्या0 मागंलिया इन्दौर म.प्र. 453 771
ANNEXURE-1	:–	तकनीकी प्रपत्र, एवं निविदा शर्ते ।
ANNEXURE-II	:–	अनुबंध
ANNEXURE-III	:–	Price Bid

<u>मुख्य कार्यपालन अधिकारी</u>

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,इन्दौर

श्री वारणा सहकारी दूध उत्पादक प्रक्रिया संघ लिमि. तात्या साहेब कोरेनगर, पोस्ट वारणा नगर जिला कोल्हापुर (महाराष्ट्र) से इन्दौर सहकारी दुग्ध संध मांगलिया जिला इन्दौर तक 500 में. टन दुग्ध चुर्ण परिवहन हेतु ई– निविदा के माध्यम से दरें आमंत्रित की जाती है ।

क्रमांक	कार्य का नाम	अमानत राशि	कार्य की समय सीमा
1	श्री वारणा सहकारी दूध उत्पादक प्रक्रिया संघ लिमि. तात्या साहेब कोरेनगर, पोस्ट वारणा नगर जिला कोल्हापुर (महाराष्ट्र) से इन्दौर सहकारी दुग्ध संध मांगलिया जिला इन्दौर तक 500 में.टन दुग्ध चुर्ण परिवहन	रु. 25000/-	कार्य आदेश जारी होने के दिनांक से तीन माह तक ।

निविदा फार्म मध्यप्रदेश शासन की वेबसाइट www.mpeproc.gov.in से निविदा फार्म दिनांक 17/04/17 दोपहर 2.00 बजे तक डाउनलोड कर सकते हैं।

ऑन लाईन निविदा प्रपत्र दिनांक 17/04/17 दोपहर 2.30 बजे तक जमा कर सकते है।

ऑन लाईन निविदा प्रपत्र दिनांक 17/04/17 दोपहर 3.30 बजे खोली जावेंगी।

ANNEXURE-I

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

तकनीकी प्रपत्र–

1. निविदाकार का नाम — — — — — — — — — — — — —

(पिता के नाम सहित)

2. निविदाकार फर्म का नाम एवं पता — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

3. कार्यालय का पता — — — — — — — — — — — — —

(अ) दूरभाष / मोबाईल नम्बर

(ब) E-Mail

4- निविदा के साथ जमा राशि — — — — — — — — — — — — —

विवरण (/D.D की छायाप्रति अपलोड करे)

5. PAN No. — — — — — — — — — — — — —

(छायाप्रति अपलोड करे)

6. TIN No. यदि है तो — — — — — — — — — — — — —

(छायाप्रति अपलोड करे)

7. सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन नं. . — — — — — — — — — — — —

(छायाप्रति अपलोड करे)

8- यदि पार्टनरशिप फर्म है तो — — — — — — — — — — — —

(पार्टनर के नाम एवं पते अंकित करे)

नोट :—

घोषणा

एतद् द्वारा मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि ऊपर दिये गये विवरण मेरे/हमारे पूर्ण विवेक अनुसार सत्य है, तथा वे परिणामों के सम्पूर्ण परिज्ञान के साथ प्रस्तुत किये गये है। मैने/हमने संबंधित आमंत्रण पत्र, निबंधन एवं शर्तो तथा सूचीं को पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है, वे मुझे/हमें मान्य है।

स्थान :—

दिनांक :— —आवेदक—

निविदाकार (निविदाकार के हस्ता.)

निबन्धन एवं शर्ते

(1) निविदा प्रपत्र पूर्ण कर निविदा के साथ अमानत राशि रू. 25,000/- (अक्षरी रू. पच्चीस हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया गया हो एवं इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. इन्दौर, मांगलिया मे देय हो दिनांक 17.04.2017 को दोपहर 2.30 बजे तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय मे जमा किया जाना चाहिये। निश्चित समय के बाद प्राप्त निविदा एवं अमानत राशि के किसी भी निविदा पर विचार नही किया जावेगा। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा, यदि निविदा स्वीकार नही की जाती है तो ऐसी स्थिति मे अमानत राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वापस कर दी जावेगी।

(2) निविदा समिति द्वारा दिनांक 17/04/2017 को दोपहर 3.30 बजे समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगें।

(3) निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति की राशि रू. 2,00,000/- (अक्षरी रू. दो लाख मात्र) 03 दिवस मे जमा कराना होगी जो कि ठेका समाप्त होने पर पूर्ण कार्य की समीक्षा के पश्चात वापस की जावेगी, तथा इस पर कोई ब्याज देय नही होगा। निश्चित अवधि मे प्रतिभूति राशि जमा न करने पर अमानत राशि राजसात करते हुए उन स्थानों के लिये निविदा अन्य ठेकेदारों को दी जा सकेगी।

(4) निविदाकर्ता की दर स्वीकृत होने पर प्रथम की अमानत राशि को छोड कर शेष निविदाकर्ता की अमानत राशि वापिस कर दी जावेगी।

(5) परिवहनकर्ता को परिवहन की सभी शर्तें मान्य होगी।

(6) परिवहन दर अनुमोदन के पश्चात तुरन्त प्रभावशील मानी जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी , इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर आवश्यकतानुसार दुग्ध चूर्ण की मात्रा को घटाने या बढ़ाने हेतु पूर्णतः अधिकार रहेगा।

(7) परिवहनकर्ता को परिवहन करने के पश्चात परिवहन का बिल भुगतान हेतु कार्यालय में माल प्राप्ति की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(8) परिवहनकर्ता को सर्विस टेक्स पृथक से देय होगा। जिसे देयक मे क्लेम करना होगा। अन्य टेक्स परिवहन दरों मे शामिल रहेगी।

(9) परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध चूर्ण पूर्ण मात्रा समयावधि में यदि परिवहन नहीं की जाती है तो संघ द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने पर अधिक लगने वाली राशि की वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी तथा अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।

(10) परिवहनकर्ता द्वारा दर अनुमोदन के उपरांत वाहन निर्देशानुसार नहीं भेजे जाते है तो अनुबंध निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर अन्य परिवहनकर्ता से कार्य कराया जावेगा।

(11) निविदाकर्ताओं को यह विदित हो कि वे निविदा दरे प्रस्तुत करते समय ध्यान रखें कि ट्रकों मे दुग्ध चूर्ण की मात्रा, प्रदेश, केन्द्र सरकार के नियमों के अन्तर्गत ही भरा जावेगा। दुग्ध चूर्ण का परिवहन वाहन क्षमता से अधिक नही होगा।

(12) एक अथवा समस्त निविदा को मान्य या अमान्य करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर रहेगा।

(13) निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृति हो जाने पर रू. 1000/- के नॉन–ज्युडिशियल स्टाम्प पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के साथ कार्यादेश प्राप्ति से **05** दिवस मे अनुबंध निष्पादित करना होगा, जिसका प्रारूप संलग्न है।

(14) किसी प्रकार के विवाद की स्थिती में विवाद का निराकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या. इन्दौर के माध्यम से किया जायेगा तथा उनके द्वारा पारित आदेश दोनो पक्षो पर बन्धनकारी रहेगा।

(15) किसी भी वाद विवाद होने पर न्यायालयीन क्षेत्र इन्दौर (म.प्र.) होगा।

ANNEXURE-II

अनुबंध

यह अनुबंध पत्र लिखवा लेने वाले **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर** (जिन्हे आगे इस अनुबंध पत्र मे प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ कहा गया है) एवं ____ . (जिन्हे आगे इस अनुबंध पत्र मे द्वितीय पक्ष/दुग्ध चूर्ण परिवहन ठेकेदार कहा गया है) के बीच निम्न शर्तो पर, व्यवसायीक अनुबंध निष्पादित किया जा रहा है :–

(1) ठेके की अवधि कार्य आदेश जारी करने के दिनांक से तीन माह तक रहेगी।

(2) सामान्यतः परिवहन हेतु लगने वाली खाली वाहनों की मांग के विषय मे सूचना ठेकेदार को इस कार्यालय द्वारा दी जावेगी, परन्तु मूलतः संयंत्र की आवश्यकता अनुसार परिवहन हेतु लगने वाले ट्रकों की मांग प्राप्त करना ठेकेदार का ही कर्तव्य होगा। ठेकेदार द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने की दशा मे यदि अतिरिक्त वाहन द्वारा कार्य कराया जाता है तो ठेकेदार से अतिरिक्त परिवहन भुगतान राशि की वसूली द्वितीय पक्ष/परिवहन ठेकेदार के देयकों से की जावेगी।

(3) परिवहन कार्य के लिये मांग प्राप्ति/सूचित करने से एक दिवस मे वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में संघ द्वारा अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था कर कार्य कराया जावेगा जिसमें होने वाले अधिक भुगतान की गई राशि ठेकेदार के देयक से वसूल की जावेगी तथा इस बावद सूचना पृथक से ठेकेदार को देने के लिये संघ बाध्य नही होगा ।

(4) साधारणतः संघ मे ट्रक खाली करने का समय कार्य दिवस मे प्रातः 9.00 से सायंकाल 5.00 बजे तक रहता है,। तत् पश्चात वाहन आने पर संयंत्र परिसर मे खडा रहेगा।

(5) परिवहन ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा ।

(6) परिवहन ठेकेदार को भुगतान हेतु अपना मुद्रित देयक दो प्रतियों मे वैधानिक जानकारी उल्लेखित हो माल प्राप्ति की वैध रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(7) नियमानुसार टेक्स का कटोत्रा भाडा देयकों से काटा जावेगा, सर्विस टेक्स पृथक से देय होगा जिसे देयक मे क्लेम करना होगा।

(8) परिवहन करते समय मार्ग मे किसी प्रकार की टूट–फूट नुकसान, दूध चूर्ण गीला होना, कमी आदि के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इससे संबंधित राशि उसके परिवहन देयक एवं अमानत राशि से वसूल की जावेगी।

(9) लोडिंग व्यय परिवहन ठेकेदार को वहन करना होाग।

(10) परिवहन ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों का व्यवहार संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों व हम्मालों के साथ सौहादपूर्ण होना चाहिये। यदि ट्रक ड्रायवर की असावधानी से संघ की जान–माल, सम्पति आदि की कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

(11) परिवहन ठेकेदार के वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी भी ठेकेदार की होगी व यदि इस बाबद कोई हानि होगी तो राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

(12) उपरोक्त शर्तो के अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा उनके अधीनस्थ अन्य अधिकारी द्वारा समय समय पर जो परिवहन संबंधी सूचनाये/आदेश दिये जावेगे, उनका पालन हेतु ठेकेदार स्वयं बाध्य होगा।

(13) यह कि उक्त अनुबंध प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के उत्तराधिकारियों पर समान रूप से प्रभावशील रहेगा।

(14) स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी,।

(15) उभय पक्षों मे कोई विवाद उत्पन्न होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर का निर्णय अंतिम व दौनो पक्षों को मान्य होगा समस्त विवादों के प्रसंग मे न्यायिक क्षेत्र इन्दौर होगा ।

(16) अनुबंध की शर्तो मे परिस्थितिवश परिवर्तन या शिथिल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर को होगा ।

इस अनुबंध पर आज दिनांक................. को उभय पक्षो मे आपसी सहमति के आधार पर इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के कार्यालय मे हस्ताक्षर किये है, निविदाकार का इकरार नामा दिनांक ———————— से ———————— तक की अवधि मे प्रभावशील रहेगा।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
( )	( )
	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
परिवहनकर्ता ठेकेदार	इन्दौर सह.दुग्ध संघ , इन्दौर

◈गवाह◈

(1) हस्ताक्षर		(2) हस्ताक्षर	
नाम	————————————	नाम	————————————
पिता	————————————	पिता	————————————
पता	————————————	पता	————————————
	————————————		————————————
	————————————		————————————

—×—